



# कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

दिनांक-29.03.2025

**विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैर-इरादतन हत्या के प्रयास में अभियुक्त व अभियुक्ता को 05 वर्ष कठोर कारावास व 12,000/- रु0 अर्थदण्ड ।**

थाना सारनाथ, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-073/2016 धारा 308, 323,504 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त 1- मुकुन्दलाल पुत्र लल्लन केवट व अभियुक्ता 2- शकुन्तला देवी पत्नी मुकुन्दलाल निवासीगण 19/46/3 मोहल्ला सोनातालब दनियालपुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी को थानाध्यक्ष सारनाथ व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-29.03.2025 को माननीय न्यायालय ASJ-13/गैंगस्टर एक्ट जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त 1- मुकुन्दलाल व अभियुक्ता 2- शकुन्तला देवी उपरोक्त को अंतर्गत धारा 308,34 भा0द0वि0 में 05 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रु0 के अर्थदण्ड से, धारा 323,34 भा0द0वि0 में 01 वर्ष के साधारण कारावास व 01 हजार रु0 के अर्थदण्ड से तथा धारा 504 भा0द0वि0 में 01 वर्ष के साधारण कारावास व 01 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन  
कमिश्नरेट वाराणसी।